



राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग

G.F.A.R.-64

राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम-.....
2. पदनाम-
3. विभाग, कार्यालय, और अनुभाग- शिक्षा विभाग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानूता (चूरू)
4. मूल वेतन-
5. गृह किराया भत्ता 6. आवेदित अवकाश का प्रकार और अवधि- 15 दिन के उपार्जित अवकाश के बदले नकद वेतन
7. अवकाश के पहले या बाद में रविवार या कोई अवकाश हो तो
8. अवकाश के लिए आवेदन देने का कारण- 15 दिन के उपार्जित अवकाश के बदले नकद वेतन -
9. गत अवकाश से लौटने का दिनांक व उस अवकाश का प्रकार एवं अवधि-.....
10. (क) मैं, रियायती अंतर्वर्तित (कम्यूटेड अवकाश) के दौरान प्राप्त किया गया अवकाश-वेतन और अर्द्ध-वेतन अवकाश जो उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 के उप-नियम (ग) के खण्ड (3) के नीचे दिये गये परन्तुक के प्रावधान उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान सर्विस से मेरे रिटायर होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किये गये होते अनुमत नहीं होता की 15 दिन की अवधि में अनुमत वेतन की अन्तर राशि वापस अदा करने का वचन देता हूँ।
(ख) मैं अवकाश अनोपार्जित जो कि उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 (ग), उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान सर्विस से मेरे स्वच्छानुगत रिटायर होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किया गया हाँता, अनुमत नहीं होता, की अवधि में प्राप्त किये गये अवकाश-वेतन को वापस अदा करने का वचन देता हूँ।
11. अवकाश का पता :- समर्पित अवकाश

आवेदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित).....

पद नाम.....

12. नियंत्रण अधिकारी की अभ्युक्ति या सिफारिश:-

राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 के प्रावधान के अनुसरण में कार्मिक को 15 दिन के उपार्जित अवकाश के बदले नकद वेतन आहरण करने की स्वीकृति एतत द्वारा प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित) पद नाम

अवकाश अनुमत होनेसम्बन्धी प्रमाण-पत्र

13. प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों के नियम 93 A के अधीन (15 दिन) उपार्जित अवकाश के बदले नकद वेतन प्रदान करने का अनुमत है।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित) पद नाम